सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 114/2015

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

गणेश पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी भासू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

वादी

बनाम

1. नोरत पुत्र रामदेव बैरवा निवासी नयागांव कुमावतों का तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. रामलाल पुत्र धन्ना बैरवा निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–30.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प बघेरा में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नयागांव (बघेरा) तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 100 के खसरानम्बर 426 रकबा 0.87 हैक्ट. भूमि नोरत पुत्र रामदेव हि 1/2 जमनी पुत्री बजरंग हि. 1/2 के नाम दर्ज खातेदार है जिसमें जरिये नामान्तकरण संख्या 572 दिनांक 27.025.2012 से जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 426 रकबा 0.87 है. हिस्सा 1/2 पर विक्रेता जमनी पुत्री बजरंग के स्थान पर रामलाल पुत्र धन्ना का अंकन स्वीकार हुआ एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 610 दिनांक 20.12.2012 जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 426 रकबा 0.87 पर विक्रेता रामलाल पुत्र धन्ना हि. 1/2 के स्थान पर गणेश पुत्र कल्याण जाति बैरवा सा.देह भासू तहसील टोडारायसिंह हि. 1/4 का अंकन स्वीकार हुआ। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा नही होने के कारण लडाई–झगडा होते है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुयी।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम नयागांव (बघेरा) तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2068–71 के खाता स. 100 के खसरानम्बर 426 रकबा 0.87 हैक्ट. ***भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिज जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।***

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी